भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4825
23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: नारियल के पौधों की आपूर्ति

4825. श्री धनुष एम॰ कुमारः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डा0॰ हिना विजयकुमार गावीतः
डा0॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डा0॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी नारियल नर्सरियों द्वारा नारियल के पौधों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार नारियल विकास बोर्ड की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके निजी क्षेत्रों में नारियल नर्सरियों को समर्थन दे रही है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के अंतर्गत कितनी निधि और सहायता प्रदान की गई है;

(ग) देश में, विशेषकर तमिलनाडु राज्य में कितनी निजी नारियल नर्सरियां कार्यरत हैं;

(घ) क्या सरकार के पास उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई विनियमन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कितनी क्षेत्रीय नारियल नर्सरियां कार्य कर रही हैं और प्रत्येक क्षेत्रीय नारियल नर्सरियों की क्या उपलब्धियां हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	**इकाइयों की सं.**	**वित्तीय सहायता (रुपए लाख में)**
2016-17	22	9.59
2017-18	24	20.37
2018-19	7	8.05

वर्तमान वर्ष को दौरान 9 राज्यों में नारियल की छोटी नर्सरियों को सहायता प्रदान करने के लिए 203.25 लाख रुपए की राशि आंवटित की गई है।

(ग) पिछले पांच वर्षों अर्थात 2014-15 से 2018-19 के दौरान तमिलनाडु राज्य में 5 नर्सरियों सहित नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) द्वारा व्यक्तियों द्वारा अथवा स्वयं सहायता समूहों/किसान उत्पादक संगठनों द्वारा सामुदायिक आधार पर कुल 120 नारियल नर्सरियों को सहायता प्रदान की गई है।

(घ) बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थापित नर्सरियों को सीडीबी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीडीबी के प्रत्यायन कार्यक्रम के लिए ऐसी नर्सरियों पर विचार किया जाता है जो दिशा-निर्देशों का पालन करती हैं और जो पांच वर्ष की अवधि से संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

(ङ) पिछले वर्ष 8 राज्यों के 36 फार्म में 7.30 लाख नारियल पौधों के उत्पादन के लिए 'क्षेत्रीय नारियल नर्सरी' योजना प्रचालित की गई। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** पर है।

लो.स.अता.प्र.सं. 4825
अनुबंध

क्षेत्रीय नारियल नर्सरियों का राज्य-वार ब्यौरा, 2018-19

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**फार्मों की सं.**	**पौधों की सं. (संख्या लाख में)**
तमिलनाडु	15	4.00
आंध्र प्रदेश	1	1.00
तेलंगाना	1	0.50
महाराष्ट्र	3	1.00
गुजरात	1	0.50
लक्षद्वीप	4	0.10
नागालैंड	10	0.10
मेघालय	1	0.10
कुल	**36**	**7.30**

****